रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 1995/वैशाख 13, 1917
No. 80] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 1995/VAISAKHA 13, 1917

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 2 मई, 1995

सं. 21(19)/93—भोपाल सेल.—भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के बकाया मामलों की जांच करने और शीघ्र निपटान के मामले में सलाह देने के लिये संकल्प सं. 21(19)/93—रसा.-1 दिनांक 11 जनवरी, 1994 द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एन.एम. जासलीवाल के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति का कार्यकाल 31-3-95 तक बढ़ाया गया था।

उक्त उच्च स्तरीय समन्वय समिति का कार्यकाल और तीन महीने के लिए अर्थात् 30-6-1995 तक बढ़ाया जाता है और समिति अपनी सिफारिशें बढ़ायी गयी अवधि में सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाये।

पी.सी. रावल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Deptt. of Chemicals & Petrochemicals)

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd May, 1995

No. 21|19|93-B. Cell.—The Government of India has set up a High Level Committee under Justice N. M. Kasliwal, Retired Judge of the Supreme Court of India for a period of one year vide Resolution No. 21|19|93-CH.I dt. the 11th January, 1994 to look into and advise in the matter of expeditious disposal of pending cases of disbursement of compensation to the victims of Bhopal Gas Leak Disaster. The tenure of the Committee was extended upto 31st March, 1995.

The tenure of the said High Level Coordination Committee is extended by another three months i.e. upto 30-6-1995 and the Committee will submit its recommendations to the Government within the extended period of time.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. C. RAWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995